

29  $\frac{11}{24}$  - मिसल आज पेश हुई।

वकील वादी हाजीर। TDR सहाय  
द्वारा पूर्व में पालना रिपोर्ट प्राप्त जिसके  
अनुसार प्रकरण में विवादग्रस्त आराजी का  
वादी एवं प्रतिवादी शाला शुद्ध उपरान्त  
स्वच्छिक बंधना करवा लेंगे अभी की  
प्रकरण में विभाजन पुस्तक तैयार करवाना  
बही चाहिए है, अतः प्रकरण में आगे  
कार्यवाही अवशेष नहीं रह जाती है।  
फलस्वरूप प्रकरण इसी स्तर पर स्वारिज  
किया जाकर निस्तारित किया जाता है।  
निर्णय में द्वारा सर-ए-इज्जाम  
सुनाया गया। मिसल फेसल सुभार होकर  
खेला है एक कम होकर कार्यवाही खतर है।

29.11.24

सहायक कलक्टर  
(कल.डी.ओ.) गंगापु